CNR No.– UPBH0100432018

न्यायालय पंचम अपर जनपद न्यायाधीश, बहराइच।

उपस्थित– श्री जीतेन्द्र कुमार द्विवेदी, उच्चतर न्यायिक सेवा

{J. O. Code No.– UP02410}

प्रकीर्ण सिविल अपील सं०– १५/२०१८

मो० रजी आदि बनाम श्रीमती सबीना सिद्दीकी आदि

२७–०२–२०२०

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर पक्षकार अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र २१–क व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–५ मियाद अधिनियम पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र २१–क एवं प्रार्थना पत्र २२–ग अन्तर्गत धारा ५ मियाद अधिनियम व आपत्ति ३४–ग

प्रार्थना पत्र २१–क अन्तर्गत आदेश २२ नियम ४ व आदेश ६ नियम १७ व आदेश–१ नियम १० व धारा १५१ सी०पी०सी० अपीलान्ट्स की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि रेस्पान्डेन्ट्स द्वारा दिनाँक ०२–१२–२०१९ को सूचना दी गयी कि रेस्पान्डेन्ट सं०–४ की मृत्यु हो चुकी है। रेस्पान्डेन्ट सं०–४ काफी दिनों से अपनी पुत्री श्रीमती बीना के साथ उनकी ससुराल स्थिति लखनऊ में रह रही थीं और वहीं दिनाँक ११–०९–२०१७ को उनकी मृत्यु हो गयी। मृतका रेस्पान्डेन्ट सं०–४ श्रीमती लक्ष्मी देवी की विधिक वारिस उनकी एकमात्र पुत्री श्रीमती बीना है, जिसका नाम मेमो ऑफ अपील में कायम किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र कायमीनाम व संशोधन स्वीकार करके मेमो ऑफ अपील में प्रस्तावित संशोधन की अनुमति चाही गई है।

कायमीनाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र २२–ग अन्तर्गत धारा–५ मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी प्रार्थना पत्र २१–क में उल्लिखित तथ्यों को ही दोहराते हुये कायमीनाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को माफ किये जाने की याचना की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के विरुद्ध रेस्पान्डेन्ट सं०–१ व २ की ओर से आपत्ति ३४–ग प्रस्तुत करके कथन किया गया कि अपीलान्ट्स की ओर से मृत्यु की कोई तिथि अंकित नहीं की गयी है और न ही कोई प्रमाण दाखिल किया गया है। प्रार्थना पत्र मियाद असत्य कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र कायमीनाम विलम्ब से दिया गया है। अतः उपरोक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अपीलान्ट्स की ओर से रेस्पान्डेन्ट सं०–४ की मृत्यु होना कहा गया है। यद्यपि रेस्पान्डेन्ट्स सं०–१ व २ की

ओर से प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है, किन्तु रेस्पान्डेन्ट्स सं०–४ की मृत्यु होने से इंकार नहीं किया गया है। रेस्पान्डेन्ट सं०–४ की मृत्यु दिनाँक ११–०९–२०१७ को होना कहा गया है तथा उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनाँक १२–१२–२०१९ को प्रस्तुत किये गये हैं। स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र विलम्ब से दिया गया है तथा विलम्ब को माफ किये जाने की याचना के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–५ मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र २३–ग से समर्थित है। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थना पत्र २२–ग अन्तर्गत धारा–५ मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र २१–क कायमीनाम प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब की प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र २१–क कायमीनाम/संशोधन भी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र २२–ग अन्तर्गत धारा–५ मियाद अधिनियम मु० २००/– हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र २१–क कायमीनाम/संशोधन प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को माफ किया जाता है, तद्नुसार कायमीनाम प्रार्थना पत्र २१–क स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट्स प्रस्तावित संशोधन अन्दर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही/बहस दिनाँक १७–०३–२०२० को पेश हो।

पंचम अपर जनपद न्यायाधीश,

दिनाँकः २७–०२–२०२० बहराइच।